अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

पंचायती राज में 33 प्रतिशत आरक्षण का महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर प्रभाव

शोध निर्देशिका
डॉ. प्रीति वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विभाग एवं मानविकी संकाय
महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर
शोधकर्त्ता
रामफुल रोलानियां
राजनीति विज्ञान विभाग, महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय,जयपुर

सार

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है। सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ, पितृसत्तात्मक संरचना और संसाधनों की कमी महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता में बाधक रही हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 73तक **Constitutional Amendment Act** के माध्यम से पंचायतों में कम से कम 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया। इस संवैधानिक प्रावधान ने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि की। वर्तमान में भारत में पंचायतों में लगभग 13 लाख से अधिक महिलाएँ निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं और कुल प्रतिनिधियों में उनका हिस्सा लगभग 44 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। यह शोध–पत्र पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रभाव का विश्लेषण करता है तथा यह समझने का प्रयास करता है कि इस नीति ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, नेतृत्व क्षमता, निर्णय–निर्माण में भागीदारी और ग्रामीण शासन में उनकी भूमिका को किस प्रकार प्रभावित किया है। साथ ही यह शोध उन चुनौतियों की भी समीक्षा करता है जो महिलाओं को पंचायत स्तर पर प्रभावी नेतृत्व करने में बाधित करती हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह आरक्षण व्यवस्था महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी रही है, परन्तु वास्तविक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक संरचना, शिक्षा, प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन में सुधार आवश्यक है।

1. परिचय

स्थानीय स्वशासन संस्थाएं भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण हैं। पंचायत प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, ताकि ग्रामीण शासन प्रभावी हो सके। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम था, जो महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देकर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस संशोधन ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितिओं और जिला परिषदों में कम से कम एक–तिहाई सीटें महिलाओं को दीं। इस व्यवस्था का लक्ष्य प्रतिनिधित्व बढ़ाना नहीं था, बल्कि महिलाओं को स्थानीय सरकार में सक्रिय भूमिका देना था।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

संशोधन से पहले, महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी बहुत सीमित थी। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अवसर बहुत कम था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके मुख्य कारणों में शामिल थे सामाजिक रूढ़ियाँ, शिक्षा की कमी और आर्थिक निर्भरता। आरक्षण कानून लागू होने के बाद महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है। महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी बढ़ने से ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं में भी बदलाव देखा गया है। यह भी अध्ययन बताता है कि महिला प्रतिनिधि अक्सर जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देते हैं, जो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं। महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण लैंगिक समानता और सामाजिक परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है।

2.अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- पंचायती राज में 33 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना।

महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण की संवैधानिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण इस अध्ययन का पहला लक्ष्य है। भारत में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए संसद द्वारा पारित 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संविधान संशोधन ने भाग प् को संविधान में जोड़ा, जो पंचायतों के गठन, चुनाव, अधिकारों और संरचना को शामिल करता है। लाखों महिलाओं को पहली बार औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला जब इस संशोधन ने महिलाओं को पंचायतों में कम से कम एक–तिहाई सीटों का आरक्षण दिया। इस अध्ययन का उद्देश्य यह है कि महिला आरक्षण प्रणाली किस प्रकार संविधान में समानता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है।

- पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर आरक्षण के प्रभाव का अध्ययन करना।

इस अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि 33 प्रतिशत आरक्षण पंचायतों में लागू होने के बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में क्या बदलाव आया है। आरक्षण कानून लागू होने से पहले, महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी बहुत सीमित थी। महिलाएँ राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाती थीं क्योंकि वे सामाजिक प्रतिबंधों से परेशान थीं, कम शिक्षा प्राप्त करती थीं और आर्थिक रूप से कमजोर थीं। आरक्षण कानून लागू होने के बाद लाखों महिलाएँ पंचायत चुनावों में भाग लेने लगीं और कई महिलाएँ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे संस्थानों में नेतृत्व करने लगीं। इस उद्देश्य के अंतर्गत अध्ययन यह भी देखता है कि ग्रामीण लोकतंत्र की संरचना और प्रकृति को महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी ने किस प्रकार प्रभावित किया है।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

- महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना।

राजनीतिक सशक्तिकरण केवल प्रतिनिधित्व नहीं है यह आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा, निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी और नेतृत्व क्षमता से भी जुड़ा हुआ है। इस लक्ष्य के लिए अध्ययन यह जानना चाहता है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने उनके जीवन के कई हिस्सों पर किस प्रकार प्रभाव डाला है।मुख्यतः निम्नलिखित पहलुओं का विश्लेषण किया जाता हैः

  - महिलाओं की नेतृत्व क्षमता
  - निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में उनका हिस्सा
  - आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण
  - ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में उनका योगदान

इस प्रकार, यह लक्ष्य महिला सशक्तिकरण को एक विस्तृत सामाजिक–राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में समझने की कोशिश करता है।

- महिला प्रतिनिधियों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।

महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण मिलने से उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस उद्देश्य के अध्ययन में महिला प्रतिनिधियों को पंचायतों में काम करते समय क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में प्रमुख निम्नलिखित हैंरू

  - पितृसत्तात्मक समाज
  - प्रशासनिक ज्ञान और शिक्षा की कमी
  - वित्तीय निर्भरता
  - सरपंच पति" की परेशानी
  - सामाजिक और राजनीतिक दबाव

महिलाओं का वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण इन चुनौतियों को समझकर ही संभव है।

- पंचायती राज में महिलाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुझाव देना।

इस अध्ययन का अंतिम लक्ष्य महिलाओं की पंचायतों में भूमिका और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नीतिगत सुझाव देना है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पंचायत प्रशासन में सक्रिय और प्रभावी भूमिका मिलनी चाहिए। यह अध्ययन निम्नलिखित उपायों पर बल देता हैरू

  - महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
  - व्यवस्थापकीय और तकनीकी सहायता

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

- ○ शिक्षा और डिजिटल साक्षरता में सुधार
- ○ सामाजिक जागरूकता अभियान
- ○ महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ

इन नीतिगत सुझावों से पंचायतों में महिलाओं का वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण बढ़ा सकता है।

3. अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों (मबवदकंतल कंज) पर आधारित है। इसके लिए निम्न स्रोतों का उपयोग किया गया हैरू

- सरकारी रिपोर्टें
- अकादमिक शोध–पत्र
- नीति दस्तावेज
- पंचायती राज मंत्रालय के आँकड़े
- महिला सशक्तिकरण से संबंधित अध्ययन
- अध्ययन की प्रकृति विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक है।

4. पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण की पृष्ठभूमि

भारत में पंचायत प्रणाली की जड़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे लोकतांत्रिक ढाँचे में स्थापित करने की कोशिश की गई। 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने विकेंद्रीकरण की जरूरत बताई। बाद में कई समितियों ने पंचायतों को अधिक बल देने की सिफारिश की। अंततः, 1992 में संसद ने 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके मुख्य प्रावधान थेरू

- पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए
- तीन–स्तरीय पंचायत व्यवस्था
- नियमित चयन
- वित्तीय और व्यवस्थापकीय अधिकार
- आरक्षण महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए
- इस संशोधन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक था महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

5. साहित्यसमीक्षा

5.1 विकेंद्रीकरण और ग्रामीण लोकतंत्र का प्रारंभिक अध्ययन

भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास और विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर बहुत से वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। **George Mathew**(1994) ने एक अध्ययन में कहा कि पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाने से लोकतंत्र अधिक कारगर और जिम्मेदार होता है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन को गति दे सकती है। इसी तरह **B-S- Baviskar** और **George Mathew** (2009) ने एक अध्ययन में बताया कि पंचायतों के माध्यम से विकास योजनाओं का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि समुदाय की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। इन अध्ययनों ने दिखाया कि ग्रामीण लोकतंत्र की सफलता के लिए पंचायतों में व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है।

5.2 अध्ययन महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर

कई शोधकर्ताओं ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर विस्तृत अध्ययन किया है। **Nirmala Buch**(2000) ने अपने अध्ययन में पाया कि महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि आरक्षण नीति ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाया और उनकी पहली बार औपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल कराया। ठीक उसी तरह, **Niraja Gopal Jayal** (2006) ने अपने अध्ययन में यह तर्क दिया कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल संख्यात्मक वृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिएय इसके बजाय, यह महिलाओं को सशक्तिकरण देने और उनकी निर्णय–निर्माण में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी होना चाहिए। इन अध्ययनों से पता चलता है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण सिर्फ प्रतिनिधित्व बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को राजनीतिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

5.3 ग्रामीण विकास और महिला नेतृत्व पर अध्ययन

कई शोधकर्ताओं ने महिला नेतृत्व के ग्रामीण विकास पर प्रभाव का विश्लेषण किया है। **Raghabendra Chattopadhyay** और **Esther Duflo**(2004) ने एक प्रसिद्ध अध्ययन में पाया कि जिन पंचायतों में महिला प्रतिनिधि प्रमुख पदों पर थे, वहाँ विकास योजनाओं में अधिक ध्यान महिलाओं और बच्चों के मुद्दों

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

पर था। ऐसी पंचायतों में पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान दिया गया, उदाहरण के लिए। यह अध्ययन दिखाता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का प्रभाव विकास नीतियों की दिशा और प्राथमिकताओं पर भी पड़ता है, न केवल प्रतिनिधित्व पर। इसी तरह, **Pranab Bardhan**और **Dilip Mookherjee** (2006) ने अपने अध्ययन में पाया कि स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी से शासन अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी होता है।

5.4 लैंगिक समानता और सामाजिक सशक्तिकरण का अध्ययन

कई अध्ययनों ने पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण किया है। **Bina Agarwal**(2001) ने अपने अध्ययन में कहा कि ग्रामीण समाज में महिलाओं की सामूहिक भागीदारी और नेतृत्व महत्वपूर्ण रूप से लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। उनका कहना है कि महिलाएं स्थानीय शासन में बहुत प्रभावी नेतृत्व कर सकती हैं अगर उन्हें संस्थागत समर्थन और प्रशिक्षण मिलता है। **Naila Kabeer**(1999) ने सशक्तिकरण को एक बहुआयामी प्रक्रिया बताया है जो संसाधनों तक पहुँच, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक मान्यता को शामिल करती है। इन तीनों पहलुओं को पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी प्रभावित करती है। इन अध्ययनों से पता चलता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं को सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बना सकता है।

5.5 महिला प्रतिनिधियों की चुनौतियों का अध्ययन

महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने से उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, लेकिन कई अध्ययनों ने पाया है कि महिला प्रतिनिधियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। **Nirmala Buch**(2000) का अध्ययन बताता है कि कई क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधि केवल औपचारिक काम करते हैं, जबकि पुरुष रिश्तेदार निर्णय लेते हैं। इस हालत को आम तौर पर ष्सरपंच पतिष की समस्या कहा जाता है। इसी तरह, गेटा सेन ने 2000 में कहा कि केवल आरक्षण ही महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण देने के लिए पर्याप्त नहीं हैय शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक संरचना में बदलाव भी इसके लिए आवश्यक हैं। इन अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी के बावजूद कई सामाजिक और संस्थागत बाधाएँ हैं।

5.6 शोध–अंतराल

उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया गया है। इन अध्ययनों में भी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं। पहला, महिलाओं की निर्णय–निर्माण

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

में वास्तविक भूमिका का बहुत कम अध्ययन हुआ है, जो केवल संख्यात्मक भागीदारी पर केंद्रित है। दूसरा, पंचायतों में महिला नेतृत्व के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों पर अधिक अध्ययन की जरूरत है। तीसरा, विभिन्न राज्यों में महिलाओं के अनुभवों और चुनौतियों में भिन्नता को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन भी आवश्यक हैं। वर्तमान अध्ययन, इन शोध–अंतरालों को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज में 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रभावों का एक बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहता है।

6. महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर आरक्षण का प्रभाव

भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण सामाजिक–राजनीतिक सुधार के रूप में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण की घोषणा हुई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को स्थानीय सरकार में प्रतिनिधित्व दिलाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दिलाना। महिलाओं को लंबे समय तक ग्रामीण समाज में सार्वजनिक जीवन और राजनीति से बाहर रखा गया था। इसके मुख्य कारणों में पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, कम शिक्षा, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक रूढ़ियाँ शामिल थे। ऐसी परिस्थितियों में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने उन्हें राजनीतिक रूप से भी बढ़ाया और उन्हें सरकारी प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी दिया।

1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और महिलाओं को कम से कम एक–तिहाई सीटों का आरक्षण दिया। इस अधिनियम ने लाखों महिलाओं को पहली बार औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का अवसर दिया। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर इस आरक्षण नीति का प्रभाव निम्नलिखित प्रमुख आयामों से समझा जा सकता हैरू

6.1 अधिक राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व

महिलाओं को आरक्षण देने के बाद पंचायतों में राजनीतिक भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आरक्षण से पहले, पंचायतों में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी और अधिकांश निर्णय–निर्माण प्रक्रियाएँ पुरुषों के हाथों में थीं। आरक्षण लागू होने के बाद लाखों महिलाएँ पंचायत चुनावों में भाग लेने लगीं और पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में काम करने लगीं। आज भारत में पंचायतों में 40 से 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह वृद्धि सिर्फ प्रतिनिधित्व में वृद्धि नहीं हैय ग्रामीण लोकतंत्र में अधिक सहभागिता और समावेशिता है। महिलाओं की अधिक राजनीतिक उपस्थिति ने ग्रामीण समाजों में लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत किया है और स्थानीय जनभागीदारी को बढ़ावा दिया है।

6.2 नेतृत्व क्षमता का विकास और आत्मविश्वास

पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधित्व करने से महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। महिलाएँ पंचायत प्रशासन में सक्रिय भागीदारी से कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों से परिचित हैं। महिला सरपंच, उप–सरपंच या पंचायत सदस्य होने पर उन्हें सार्वजनिक

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

बैठकों में भाग लेने, अधिकारियों से संवाद करने और सामुदायिक समस्याओं का समाधान करने का अवसर मिलता है। यह अनुभव उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही, पंचायतों में नेतृत्व का अनुभव बहुत सी महिलाओं को राजनीतिक अवसर प्रदान करता है। बाद में कई महिला प्रतिनिधि जिला या राज्य की राजनीति में भी शामिल हो जाती हैं। महिलाओं के लिए पंचायतें राजनीतिक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण मंच बन जाती हैं।

6.3 लैंगिक समानता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना

महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र तक नहीं सीमित है, बल्कि इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव है। ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका के प्रति पारंपरिक धारणाओं को महिला प्रतिनिधियों की सार्वजनिक उपस्थिति ने बदल दिया है। महिलाओं को पहले मुख्यतः घरेलू कामों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब वे शासन और प्रशासन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। इस बदलाव ने ग्रामीण समाजों में लैंगिक समानता बढ़ा दी है। महिला सरपंच या पंचायत सदस्य होने से गाँव की अन्य महिलाएँ भी अपने अधिकारों और क्षमताओं को जानने लगती हैं। महिला नेतृत्व ने भी बालिकाओं की शिक्षा, महिला स्वास्थ्य और महिला अधिकारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

6.4 विकास योजनाओं के लक्ष्यों में बदलाव

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से भी पंचायतों की विकास योजनाओं की प्राथमिकताओं में बदलाव देखने को मिलता है। विभिन्न अध्ययनों ने देखा कि महिला प्रतिनिधि अक्सर ग्रामीण परिवारों और विशेष रूप से महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अधिक ध्यान देते हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता हैरू

- पेयजल की व्यवस्था
- चिकित्सा सेवाओं का विस्तार
- शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं की स्थिति में सुधार
- बाल और महिला विकास कार्यक्रम
- मातृ स्वास्थ्य और पोषण की योजनाएँ

महिला प्रतिनिधियों को इन सामाजिक मुद्दों की अधिक चिंता होती है क्योंकि वे खुद इन मुद्दों का सामना कर चुकी हैं। इसलिए, उनके नेतृत्व में विकास कार्यक्रम अधिक सामाजिक और मानवीय हैं।

6.5 हाशिए की महिलाओं की सशक्तिकरण

अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों को आरक्षण देना पंचायती राज में एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस व्यवस्था से इन समुदायों की महिलाओं को भी पंचायतों में नेतृत्व करने का मौका मिला है। इससे ग्रामीण

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

सरकारों में सामाजिक न्याय और समावेशिता बढ़ी है। इन वर्गों में रहने वाली महिलाओं को अक्सर दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैरू लैंगिक और जातिगत भेदभाव। इसके बावजूद, दलित और आदिवासी महिलाओं ने अपने समुदाय को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

6.6 राजनीतिक जागरूकता का विस्तार और लोकतांत्रिक संस्कृति का निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी ने राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ा दी है। ग्रामीण समाज में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जागरूकता बढ़ती है जब महिलाएँ पंचायत प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं और चुनावों में भाग लेती हैं। महिलाओं की सक्रियता से दूसरी महिलाएं भी पंचायत बैठकों, ग्राम सभाओं और विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित होती हैं। इससे लोकतांत्रिक निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया अधिक विस्तृत और शामिल होती है। महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का साधन नहीं है, बल्कि ग्रामीण समाज में लोकतांत्रिक संस्कृति के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है।

7. चुनौतियाँ और सीमाएँ

महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में ३३ प्रतिशत आरक्षण ने ग्रामीण शासन में उनकी भागीदारी को बहुत बढ़ाया है। इस नीति के कारण लाखों महिलाएँ पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय हैं। महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी के बावजूद, उनके असली सशक्तिकरण के रास्ते में अनेक सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत चुनौतियाँ अभी भी हैं। ये बाधाएं अक्सर महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने और नेतृत्व करने में सक्षम बनाती हैं। निम्नलिखित उप–शीर्षकों के माध्यम से इन चुनौतियों का विश्लेषण किया जा सकता है।

7.1 सरपंच पति की समस्या और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व

पंचायती राज में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सबसे अधिक चर्चित मुद्दा "सरपंच पति" है। राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार लेते हैं, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि केवल औपचारिक पद पर रहते हैं। इस स्थिति में महिलाओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने या प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर नहीं मिलता और वे केवल नाममात्र की प्रतिनिधि बनकर रह जाती हैं। यह समस्या अधिक आम है जहाँ पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना मजबूत है। हालाँकि, कई महिला प्रतिनिधियों ने इस प्रवृत्ति को समाप्त करके अपने अधिकारों और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से स्वतंत्र पहचान बनाई है। फिर भी, महिलाओं की वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण की राह में यह मुद्दा एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

7.2 प्रशासनिक और शिक्षण की कमी

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी महिला प्रतिनिधियों का शैक्षणिक स्तर कम है। उन्हें कम शिक्षा होने के कारण प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सरकारी योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन और कानूनी प्रावधानों को समझना कठिन है। बजट निर्माण, विकास योजनाओं का प्रबंधन, सरकारी विभागों के साथ समन्वय और दस्तावेजी कार्यवाही पंचायत प्रशासन में शामिल हैं। महिला प्रतिनिधियों को इन प्रक्रियाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी या प्रशिक्षण नहीं मिलता, तो उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। क्षमता निर्माण (**capacity building**) कार्यक्रमों और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जरूरत है ताकि इस समस्या को हल किया जा सके।

7.3 पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक प्रतिबंधों का विश्लेषण

पितृसत्तात्मक संरचना अभी भी भारतीय ग्रामीण समाजों में व्याप्त है। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने के लिए कई क्षेत्रों में सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। महिला प्रतिनिधियों को अक्सर स्वतंत्र निर्णय लेने, अधिकारियों से बातचीत करने या पंचायत बैठकों में भाग लेने पर सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक सक्रियता भी कई बार परिवार और समुदाय की उम्मीदों से बाधित होती है। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सार्वजनिक मंचों पर बोलना या नेतृत्व करना सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है। ऐसे हालात में महिला प्रतिनिधियों के लिए काम करना कठिन हो सकता है।

7.4 धन की निर्भरता और संसाधनों की कमी

महिला प्रतिनिधियों के लिए धन की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएँ अपने परिवार पर आर्थिक निर्भर हैं। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए समय, संसाधन और सामाजिक समर्थन चाहिए। महिला प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने में कठिनाई महसूस हो सकती है अगर उनके पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हैं। इसके अलावा, बहुत सी महिला प्रतिनिधियों को घरेलू कामों और सार्वजनिक कामों के बीच संतुलन बनाना कठिन होता है।

7.5 संस्थागत और प्रशासनिक बाधाएँ

नौकरशाही और संस्थागत प्रक्रियाएँ भी कई बार पंचायत प्रशासन में महिला प्रतिनिधियों के सामने आती हैं। सरकारी अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र के साथ समन्वय बनाना कई महिला प्रतिनिधियों को मुश्किल होता है। इसके अलावा, स्थानीय प्रशासन कभी–कभी महिला प्रतिनिधियों को गंभीरता से नहीं लेता, जो उनकी शक्ति को कम कर सकता है। महिला प्रतिनिधियों की भूमिका अधिक प्रभावी हो सकती है अगर प्रशासनिक प्रणाली अधिक सहयोगी और संवेदनशील हो।

7.6 राजनीतिक दल और शक्ति संरचनाएं

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

महिलाओं की स्वतंत्रता को स्थानीय राजनीतिक दल और शक्ति संरचनाओं ने अक्सर प्रभावित किया है। राजनीतिक दल या स्थानीय नेता कभी–कभी महिला प्रतिनिधियों पर दबाव डालते हैं। इससे उनकी निर्णय लेने की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। इसके अलावा, पुरुष नेता पंचायत चुनावों पर वास्तविक नियंत्रण रखते हैं, जबकि महिलाओं को सिर्फ औपचारिक उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाता है।

7.7 सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अवरोध

महिला प्रतिनिधियों को मानसिक दबाव, सामाजिक आलोचना और आत्मविश्वास की कमी का भी सामना करना पड़ता है। कई महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना एक नया अनुभव होता है, इसलिए प्रारंभिक चरण में उनके सामने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वे इन चुनौतियों को समय और प्रशिक्षण से पार कर सकते हैं।

8. नीतिगत सुझाव

महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में ३३ प्रतिशत आरक्षण ने ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक बनाया है। इस व्यवस्था ने लाखों महिलाओं को स्थानीय शासन में भाग लेने का अवसर दिया और औपचारिक राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा बनाया। लेकिन सिर्फ प्रतिनिधित्व बढ़ाना पर्याप्त नहीं हैय यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएँ पंचायत प्रशासन में स्वतंत्र, सक्रिय और प्रभावी रूप से भाग ले सकें। इसके लिए कई संस्थागत और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है. इन सुधारों से वास्तविक रूप से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को और अधिक मजबूत किया जा सकता है। निम्नलिखित नीतिगत सुझाव इस मामले में महत्वपूर्ण हैं।

8.1 महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम

पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सरकारी योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन और कानूनी प्रावधानों के बारे में कई महिला प्रतिनिधियों को पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वे पंचायत प्रशासन में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं अगर उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण निम्नलिखित विषयों को शामिल कर सकता हैरू

- पंचायत शासन और व्यवस्था
- बजट बनाना और वित्तीय व्यवस्था
- सरकारी योजनाओं की लागूआत
- बातचीत और नेतृत्व कौशल
- डिजिटल तकनीक और **e&government**

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला प्रतिनिधियों का आत्मविश्वास और प्रशासनिक क्षमता बढ़ा सकते हैं।

8.2 शिक्षण और डिजिटल साक्षरता का प्रोत्साहन

शिक्षा महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षित महिला प्रतिनिधि विकास योजनाओं को लागू करने में अधिक प्रभावी हो सकती हैं और पंचायत प्रशासन को बेहतर ढंग से समझ सकती हैं। इसके अलावा, आज शासन व्यवस्था डिजिटल तकनीक का तेजी से उपयोग कर रही है। ई–गवर्नेंस, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और डिजिटल डेटा प्रबंधन भी पंचायत प्रशासन में महत्वपूर्ण हो गया है। महिला प्रतिनिधियों को आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग करने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

8.3 लैंगिक समानता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना

महिलाओं को पंचायती राज में सशक्त करने के लिए समाज में लैंगिक समानता की भावना को मजबूत करना होगा। महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता अभी भी ग्रामीण समाजों में पितृसत्तात्मक मान्यताओं से बाधित है। इसलिए, सरकार और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि लोगों में महिला नेतृत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो सके। ग्रामसभाओं, सामुदायिक बैठकों और शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए कि महिलाएँ भी प्रशासन और शासन में प्रभावी नेतृत्व कर सकती हैं।

8.4 सरपंच पतिकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासनिक और कानूनी उपाय

महिलाओं को पंचायतों में सशक्त करने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने अधिकारों का वास्तविक उपयोग करें।"सरपंच पति" की समस्या कई क्षेत्रों में देखी जाती है, जहाँ महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार प्रशासनिक काम करते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया जा सकता हैरू

- पंचायत बैठकों में अनिवार्य रूप से महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं में महिला प्रतिनिधियों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना
- ऐसे मामलों में न्यायिक कार्रवाई करना जहाँ पुरुष रिश्तेदार अवैध रूप से प्रशासनिक कामों में शामिल होते हैं

इन कदमों से महिला प्रतिनिधियों का नेतृत्व और स्वतंत्रता बढ़ाया जा सकता है।

8.5 महिला नेतृत्व नेटवर्क बनाना और सहयोग मंच बनाना

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

पंचायतों में कार्यरत महिला प्रतिनिधियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और उनके अनुभवों को साझा करने के लिए महिला नेतृत्व नेटवर्क बनाया जा सकता है। विभिन्न पंचायतों की महिला प्रतिनिधि इस नेटवर्क के माध्यम से अपने अनुभवों, परेशानियों और सफलताओं को साझा कर सकती हैं। इससे उन्हें नई रणनीतियाँ सीखने में मदद मिलती है और अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा, ऐसे मंच महिला प्रतिनिधियों को सामूहिक रूप से सरकार को अपनी मांगों और समस्याओं को बताने का अवसर भी देते हैं।

8.6 संसाधनों और आर्थिक सशक्तिकरण तक पहुँच

महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण भी महत्वपूर्ण है। महिलाएँ अधिक आर्थिक स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। ये कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैंरू

- महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना
- ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना
- महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था
- महिलाओं को वित्तीय संसाधन और ऋण प्रदान करना
- महिलाएँ जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे पंचायत प्रशासन में अधिक सक्रिय और प्रभावी हो सकती हैं।

8.7 पंचायत प्रशासन में संस्थागत समर्थन और पारदर्शिता

महिला प्रतिनिधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पंचायत प्रशासन को अधिक खुला और सहयोगी बनाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक तंत्र को महिला प्रतिनिधियों के साथ काम करना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक और तकनीकी सहायता देनी चाहिए। पंचायतों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए जा सकते हैंरू

- ग्रामसभाओं की बार–बार बैठकें
- विकास योजनाओं की आम समीक्षा
- सामाजिक लेखा परीक्षण
- पंचायत कार्यों की खुली रिपोर्ट

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

9. निष्कर्ष

भारत के लोकतंत्र में एक बड़ा संस्थागत और सामाजिक बदलाव है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। यह नीति ग्रामीण शासन प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाती है. यह न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है, बल्कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार देते हुए पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अधिक समावेशी और सहभागी बनाया है।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायतों में आरक्षण लागू होने के बाद ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है। लाखों महिलाएँ पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और विकास योजनाओं और स्थानीय प्रशासन में सक्रिय हैं। इससे ग्रामीण समाज में लोकतांत्रिक संस्कृति मजबूत हुई है और महिलाओं की राजनीतिक दृष्टि भी बढ़ी है। पंचायतों में महिलाओं की उपस्थिति ने भी दिखाया है कि वे प्रभावी नेतृत्व कर सकती हैं और स्थानीय शासन को अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बना सकती हैं।

यह भी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ने ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं में सुधार लाया है। महिला प्रतिनिधि अक्सर ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों को अधिक महत्व देते हैं, जैसे पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और महिला और बाल विकास। इस प्रकार, पंचायतों में महिलाओं का नेतृत्व विकास नीतियों को अधिक सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से प्रभावित करता है। महिला प्रतिनिधियों की सक्रियता ने भी ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया है और महिलाओं का आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाया है।

इस अध्ययन से भी पता चलता है कि पंचायतों में महिलाओं को वास्तव में राजनीतिक सशक्तिकरण देने के रास्ते में अनेक चुनौतियाँ हैं। महिला प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता अक्सर पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, कम शिक्षा और प्रशासनिक प्रशिक्षण, आर्थिक निर्भरता और "सरपंच पति" से सीमित होती है। इसके अलावा, संस्थागत और प्रशासनिक बाधाएँ भी उनके कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं। इन बाधाओं के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अक्सर प्रतीकात्मक रूप से सीमित रहती है।

वर्तमान परिस्थितियों में, महिलाओं की पंचायतों में भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने के लिए व्यापक नीतिगत और सामाजिक प्रयास किए जाएँ। पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता और संस्थागत समर्थन को बढ़ाना, शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, महिला प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाना और प्रशिक्षण

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

कार्यक्रमों को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं की राजनीतिक प्रभावशीलता को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है, अगर महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने वाले नेटवर्क और सहयोग मंच बनाए जाएँ।

कुल मिलाकर, पंचायतों में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति ने ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति दी है और महिलाओं को स्थानीय शासन में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए यह आरक्षण व्यवस्था एक मजबूत आधार प्रदान करती है, हालांकि अभी भी कई चुनौतियाँ हैं।

यही कारण है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी न केवल उनके सशक्तिकरण को मजबूत करेगी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, उत्तरदायी और न्यायपूर्ण बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों, संस्थागत समर्थन और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता होगी।

10. संदर्भ

- Bina Agarwal. (2001). Participatory exclusions, community forestry, and gender: An analysis for South Asia and a conceptual framework. World Development, 29(10), 1623–1648.
- Pranab Bardhan, & Dilip Mookherjee. (2006). Decentralization and local governance in developing countries: A comparative perspective. Cambridge, MA: MIT Press.
- Nirmala Buch. (2000). Women’s experience in new Panchayats: The emerging leadership of rural women. New Delhi: Centre for Women’s Development Studies.
- Raghabendra Chattopadhyay, & Esther Duflo. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. Econometrica, 72(5), 1409–1443.
- Niraja Gopal Jayal. (2006). Representing India: Ethnic diversity and the governance of public institutions. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Naila Kabeer. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women’s empowerment. Development and Change, 30(3), 435–464.
- George Mathew. (1994). Panchayati Raj: From legislation to movement. New Delhi: Concept Publishing Company.
- George Mathew, & B. S. Baviskar. (2009). Inclusion and exclusion in local governance: Field studies from rural India. New Delhi: Sage Publications.
- Geeta Sen. (2000). Gender mainstreaming in finance ministries. World Development, 28(7), 1379–1390.

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 13-Issue 03, (July-Sep 2025)

- Government of India. (1992). 73rd Constitutional Amendment Act. New Delhi: Ministry of Law and Justice.
- Ministry of Panchayati Raj. (2023). Annual report on Panchayati Raj institutions in India. New Delhi: Government of India